[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. **25/2022** – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख **13** दिसंबर, **2022**

सा.का.नि...(अ).– आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट, वेल्लोर, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, माइलादुथुरई और तंजावुर जिले में है, के लिए माह नवंबर 2022 की कर अवधि के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-**1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती माह के तेरहवें दिन तक बढाया जाता है।"

[फा.स.सीबीआईसी–20006/16/2022–जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक